

सं० ए-32013/03/2020-केहिप्रसं/1834

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

7वीं मंजिल, अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स

लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003


दिनांक : 20.07.2021

कार्यालय आदेश

२२

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के दिनांक 01-07-2021 के कार्यालय आदेश सं.-14034/03/2021-राभा (प्रशि) तथा दिनांक 16-07-2021 के आदेश सं. 21034/18/2021-राभा (प्रशि) के अनुक्रम में डॉ.शोभा रानी, उपनिदेशक (हिंदी शिक्षण योजना) को संयुक्त निदेशक (भाषा) के पद पर वेतनमान लेवल -12 रु.78,800 - 2,09,200 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3 रु.15600-39100 + ग्रेड वेतन रु.7600) में पदोन्नत किए जाने के फलस्वरूप उनकी तैनाती संयुक्त निदेशक (भाषा), हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा-स्कंध), आर.के.पुरम, नई दिल्ली में की जाती है।

यह पदोन्नति डॉ.शोभा रानी के द्वारा संयुक्त निदेशक (भाषा) के पदभार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।



(राम निवास)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. डॉ.शोभा रानी, उपनिदेशक (हिशियो), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
2. वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
4. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक (पूर्व,पश्चिम,दक्षिण,पूर्वोत्तर,मध्योत्तर,परीक्षा),हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता/मुंबई/चैन्ने/गुवाहाटी/नई दिल्ली।
5. सचिव (रा.भा.) जी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. संयुक्त सचिव (रा.भा.) जी के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके संदर्भित कार्यालय आदेशों के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. उपनिदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
9. उपनिदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
10. अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक(भाषा एवं टंकण/आशुलिपि), केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
11. सेवा पंजी एवं व्यक्तिगत फाइल हेतु।

20.07.2021
क.न.व. (सचिव/प्रशि)
क.न.व. (सचिव/प्रशि)